नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील पुरामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांतील नागरी सुविधेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**

**मदत व पुनर्वसन विभाग**

**शासन निर्णय क्रमांक- एफएलडी-२०२६/प्र.क.१०१(ई-१६२५८९३)/पुनर्वसन-०७**

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक - २१ ऑगस्ट, २०२६

**वाचा:-**

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१.०८.२००९
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८.०३.२०११
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि.१९.०१.२०१६
५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. विअसु २०१५/ प्र.क्र.२१८/ इमारती-२, दि.१६.१२.२०१५
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-२०१९/प्र.क्र.१२९/२-१२, दि.१४.१०.२०२२
७) शासन शुद्धीपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र.एफएलडी-२०१९/प्र.क्र.१२९(E-१४५३८४३)/ पुनर्वसन-०७, दि.०९.०६.२०२६
८) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-७(३)/प्र.क्र.-२१/२०२६, दि. १०.०३.२०२६
९) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-७(३)/प्र.क्र.-५८/२०२६ (ई ऑफीस क्र. १००९६९), दि. २९.०६.२०२६

**प्रस्तावना:-**

नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील पुरामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांतील नागरी सुविधा कामांची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेस्तव विभागीय आयुक्त ,नागपूर यांनी संदर्भाधीन क्र. ८ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केली आहेत.

२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय (वित्तीय मंजुरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार विभागीय आयुक्तनागपूर , यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावातील नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय:-**

नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील पुरामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांतील पुढील तक्त्यात नमूद नागरी सुविधा कामांच्या एकूण रूपये ३२,०७,३५,०००/- (अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी सात लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकांना पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

(रुपये लाखात)

| अ. क्र. | गावाचे नाव | नागरी सुविधा काम | अंदाजपत्रकीय रक्कम |
|---|---|---|---|
| **ता. नरखेड, जि. नागपूर** | | | |
| १ | खैरगाव | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते (वार्ड क्र. १ व २) | ९९.९९ |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते (वार्ड क्र. ३) | ९८.४४ |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते (वार्ड क्र. ५) | ९७.८७ |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. १, २ व ३) | ९५.४३ |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. ४) | ८१.०२ |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. ५) | ९०.४५ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| २ | देवळी | शाळा व क्रिडांगण | ६३.३४ |
| | | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते (वार्ड क्र. १) | ८८.७१ |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते (वार्ड क्र. २) | १००.०० |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. १) | ७१.०४ |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. २) | ८३.५४ |
| | | गुरांना पाण्याचा हौद | ३.०० |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| ३ | देवग्राम | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते (वार्ड क्र. १) | ८७.९४ |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. २ व ३) | ८३.१७ |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. १) | ९२.३० |
| | | गावठाणातील गटारे (वार्ड क्र. २ व ३) | ९७.३१ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| | | गुरांना पाण्याचा हौद | ६.०० |
| ४ | मदना | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| ५ | जलालखेडा | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | २६.८६ |
| | | भूमिगत नाली (वार्ड क्र. ४) | ५७.५६ |

| अ. क्र. | गावाचे नाव | नागरी सुविधा काम | अंदाजपत्रकीय रक्कम |
|---|---|---|---|
| | | भूमिगत नाली (वार्ड क्र. ५) | ९६.७४ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| | | गुरांना पाण्याचा हौद | ३.०० |
| ६ | पेठ इस्माईलपुर | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ६५.९६ |
| | | गावठाणातील गटारे | ९.५२ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| | | गुरांना पाण्याचा हौद | ३.०० |
| ७ | महेंद्री | जि.प. शाळा संरक्षण भिंत | १३.२६ |
| | | क्रिडांगण | ८६.८७ |
| | | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | २९.६४ |
| | | गावठाणातील गटारे | ५.३३ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| | | गुरांना पाण्याचा हौद | ३.०० |
| ८ | खरबडी | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ७३.९७ |
| | | गावठाणातील गटारे | १०.०८ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| | | क्रिडांगण | १२.७५ |
| ९ | खेडी खु. | क्रिडांगण | २३.५५ |
| | | जि.प. शाळा संरक्षण भिंत | ११.९४ |
| | | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ४५.७७ |
| | | भूमिगत नाली | १२.४४ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| १० | थडीपवनी | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ९५.४९ |
| | | गावठाणातील गटारे | १००.०० |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |

| अ. क्र. | गावाचे नाव | नागरी सुविधा काम | अंदाजपत्रकीय रक्कम |
|---|---|---|---|
| ११ | अंबाडा | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ९२.१५ |
| | | भूमिगत नाली (वार्ड क्र. १) | ९९.९६ |
| | | भूमिगत नाली (वार्ड क्र. २) | ९९.९८ |
| | | भूमिगत नाली (वार्ड क्र. ३) | ७७.३२ |
| १२ | सायवाडा | जि.प. शाळा संरक्षण भिंत | २१.२६ |
| | | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | गुरांना पाण्याचा हौद | ३.०० |
| | | भूमिगत नाली | ९९.४७ |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ९९.९९ |
| १३ | खारगड | जि.प. शाळा संरक्षण भिंत | ८.८४ |
| | | समाजमंदिर | २०.०० |
| | | भूमिगत नाली | ४८.२५ |
| | | अंतर्गत रस्ते/ पोहोच रस्ते | ६५.८५ |
| | | सार्वजनिक शौचालय | १५.०० |
| **एकूण** | | | **३२०७.३५** |

**अटी व शर्ती :-**

१) नागरी सुविधा कामे करताना प्रस्तुत प्रस्तावित समाविष्ट असलेले गौण खनिज स्वामीत्वधनाची वसूली करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील.

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जीटीएन १०८३/२१७/र-१२, दि.१०.०२.१९८३, शासन निर्णय क्र. आरसीपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ व शासन परिपत्रक क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ अन्वये पुनर्वसित/ विस्तारित गावठाणांतील नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या भौतिक मानकांनुसार तपासणी करुन काम करुन घेण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांची राहील.

३) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांवर होणारा खर्च मंजूर अंदाजपत्रकांतील रकमेपेक्षा विहित मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही, याची कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी.

४) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांसाठीच्या अंदाजपत्रकांत दर्शविलेली कामनिहाय रक्कम तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेतील अटींचे विहित कार्यपध्दतीनुसार पालन होईल, याची कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी.

५) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा सर्व दृष्टीने पूर्ण झाल्यावर व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचेकडून प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधित जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्यात व त्याबाबत जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचेमार्फत शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागास अवगत करावे.

६) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यनियमावलीतील प्रचलित नियमांनुसार सदर नागरी सुविधा कामांच्या अंदाजपत्रकांस संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या मुख्य अभियंता/ अधिक्षक अभियंता/ कार्यकारी अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली असावी.

७) पुनर्वसन योजनेतून पुरविण्यात आलेल्या नागरी सुविधा अन्य योजनेतून पुनश्च: पुरविल्या जाणार नाहीत, नागरी सुविधा कामे यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत. अथवा सदरची कामे अन्य योजनेत समाविष्ट नाहीत, तसेच या कामांवर यापूर्वी खर्च करण्यात आलेला नाही, याची संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियंता/ अधिक्षक अभियंता/ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी.

८) प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांचा उचित दर्जा राखला जाईल, याची कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी.

९) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशांतील अटींची पूर्तता पूर्ण करुन प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत व १८ महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.

**२. निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश:-** कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अटींची पुर्तता करून प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामांची निविदा प्रक्रिया तात्काळ सुरु करावी. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्राप्त कामांसाठीचे कार्यारंभ आदेश देऊन नागरी सुविधा कामे तात्काळ सुरु करावीत व १८ महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.

३. संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी वरीलप्रमाणे नमूद केल्यानूसार सुरु करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामांच्या प्रगतीचा अहवाल/ खर्चाच्या प्रगतीचा अहवाल इ. सादर करुन कामाच्या प्रगतीनूसार व कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानूसार खर्च "मागणी क्रमांक-सी ६, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य- ०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९२) इतर, (९२)(०४) पुरामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ २२२९) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली आवश्यक निधीची मागणी शासनास सादर करावी.

४. त्या अनुषंगाने मंजूर व उपलब्ध तरतुदीतून आवश्यक तेवढा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर वितरीत करण्यात येणारा निधी ज्या कामासाठी उपलब्ध करुन दिला जाईल त्याच कामासाठी त्याचा विनियोग करण्यात यावा. तसेच वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या

अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्रे (Utilization Certificates), सदर कामे अन्य कोणत्याही योजनेतील निधीतून पूर्ण केलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र व काम पूर्ण झाल्यावर Geo-tagging करुन त्याचे प्रमाणपत्र प्राथम्याने सादर करावीत.

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०२६/प्र.क्र.२२/विनियम, दि.११.०८.२०२६ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७(२)(अ) अन्वये प्राप्त अधिकारात व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०८२११७३५२३६८४१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

VINAY PANDURANG LOKHANDE

Digitally signed by VINAY PANDURANG LOKHANDE
DN: c=IN, 2.5.4.97=OFN:GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Relief and Rehabilitation, 2.5.4.20=EEDFE3322D40AD245C8F52370F8D8B4D8B94B560A370AEAF4D3AA33C9369DE3A, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=889A1BA1DD6F599D5354C2F03ECDBB310A43140A80414FAD46DF22CBD7755A8F, cn=VINAY PANDURANG LOKHANDE
Date: 2026.08.21 18:05:23 +05'30'

**(विनय लोखंडे)**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत-**

१. विभागीय आयुक्त, नागपूर
२. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, नागपूर
३. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, नागपूर
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ / नागपूर-२
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१/ नागपूर-२
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर
७. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-९/अर्थसंकल्प-६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
८. कार्यासन अधिकारी, कार्या. अर्थसंकल्प/ लोकलेखा, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
९. कार्यासन अधिकारी, मदत-०३, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
१०. निवड नस्ती, कार्यासन पुनर्वसन-०७, मदत व पुनर्वसन विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

****